

न्यायालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)

-//संशोधित विविध आदेश//-

क्रमांक-क/मु0 न्या0 मजि0/2026

अंबिकापुर दिनांक- 30/04/2026

मैं पल्लव रघुवंशी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर जिला-सरगुजा (छ.ग.), माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर तथा माननीय सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (छ.ग.) के अधीन एवं नियंत्रण में रहते हुये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-12(1) एवं धारा-13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दायित्व कार्य विभाजन के संबंध में पूर्व में जारी किये गये आदेश क्रमांक-क/मु0 न्या0 मजि0/2026 दिनांक-10.04.2026 को इस आदेश द्वारा संशोधित करते हुए निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

1. सुश्री प्रांजलि नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंबिकापुर के द्वारा आरक्षी केन्द्र-गांधीनगर से संबंधित परिवाद एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा।
2. श्री अरिन्दम नेरल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंबिकापुर के द्वारा समस्त थाना (थाना-लुण्ड्रा, चौकी-रघुनाथपुर एवं संभागीय उड़नदस्ता को छोड़कर) का एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 की धारा-52(क) से संबंधित अल्प मात्रा तक की इन्वेन्ट्री संबंधी कार्यवाही किया जायेगा।
3. सुश्री प्रांजलि नेताम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंबिकापुर के द्वारा थाना-लुण्ड्रा, चौकी-रघुनाथपुर का एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 की धारा-52(क) से संबंधित अल्प मात्रा एवं संभागीय उड़नदस्ता का एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 की धारा-52(क) से संबंधित समस्त मात्रा की इन्वेन्ट्री संबंधी कार्यवाही किया जायेगा।
4. एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 की धारा-52(क) से संबंधित समस्त मात्रा (अल्प मात्रा को छोड़कर) वाले जिनका उल्लेख कार्य विभाजन आदेश दिनांक-10.04.2026 में नहीं किया गया है, की इन्वेन्ट्री की कार्यवाही संबंधित थाना क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

उक्त संशोधित आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा, अंबिकापुर के अनुमोदन के पश्चात प्रभावशील होगा।

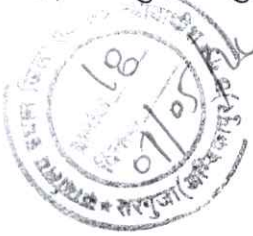
अनुमोदित

Principal District & Sessions Judge
Surguja (Ambikapur) C.G.

(पल्लव रघुवंशी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंबिकापुर, जिला-सरगुजा, (छ.ग.)

प्रतिलिपि:-

- 1/-माननीय रजिस्ट्रार जनरल छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर को सूचनार्थ सादर संप्रेषित ।
- 2/-माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा (अंबिकापुर) को सूचनार्थ संप्रेषित ।
- 3/-संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अंबिकापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 4/-सेंट्रल फाईलिंग सेक्शन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय, अंबिकापुर को सूचनार्थ ।
- 5/- सहायक प्रोग्रामर, कम्प्यूटर शाखा कार्यालय माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरगुजा (अंबिकापुर) को आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित ।
- 5/-सचिव, अधिवक्ता संघ अंबिकापुर को सूचनार्थ।
- 6/-अभियोजन अधिकारी, अभियोजन कार्यालय अंबिकापुर को सूचनार्थ ।
- 7/-पुलिस अधीक्षक, अंबिकापुर/सरगुजा जिले के समस्त थाना एवं चौकी को सूचनार्थ ।
- 8/-प्रस्तुतकार, सत्र न्यायाधीश, सरगुजा-अंबिकापुर ।
- 9/-प्रस्तुतकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकापुर को सूचनार्थ ।



(सुलव रघुवंशी)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंबिकापुर, जिला-सरगुजा, (छ.ग.)

8W
for
AD
1-5-1026

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंबिकापुर, जिला-सरगुजा, (छ.ग.)